पत्रांक–03/स्था0रा0से0(पीत पत्र)–109/2024–516(3)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

आजीव वत्सराज,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

ई–मेल

पटना–15, दिनांक–09/03/2026

विषय :– बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम–52 के अन्तर्गत अर्द्धवार्षिक एवं त्रैमासिक निरीक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा अंचल कार्यालयों में व्याप्त कु–व्यवस्था एवं दलाल–मुंशी प्रथा के संबंध में पूर्व में निदेश निर्गत है एवं इस हेतु CCTV Camera लगाकर पर्यवेक्षण करना/Biometric Attendance/Video Conferencing Technology के माध्यम से नियंत्रण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। I.T. के इस्तेमाल से यह सामान्य समझ हो गई है कि राजस्व कार्यालयों की अर्द्धवार्षिक एवं त्रैमासिक निरीक्षण नहीं हो पाने का व्यापक कु–प्रभाव पड़ा है, जो चिन्ता का विषय है।

अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित जिले के अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में मुख्यालय से गठित एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से सभी जिलों का निरीक्षण किया जाए, जहाँ समृद्धि यात्रा पूर्ण हो गयी है एवं जहाँ विशेष जाँच की आवश्यकता हो।

2. इस हेतु त्रि–सदस्यीय टीम का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(i) संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता – अध्यक्ष
(ii) मुख्यालय के अवर सचिव/उप सचिव एवं समकक्ष – सदस्य
(iii) मुख्यालय के एक प्रशाखा पदाधिकारी – सदस्य

3. जाँच के प्रथम चरण में यह टीम पूर्वी चम्पारण, बक्सर, रोहतास, भागलपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज एवं सीतामढ़ी के क्रमशः घोड़ासहन, बक्सर सदर, दिनारा, भागलपुर सदर, वैशाली सदर, एकमा, गोपालगंज सदर एवं डुमरा अंचल में गहन निरीक्षण करेंगी।

4. यह टीम निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर समाहर्त्ता एवं मुख्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करेंगी।

5. उत्तरवर्ती चरणों में इस टीम द्वारा अन्य अंचल कार्यालयों/राजस्व कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई एवं जाँच में सहयोग हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
ह0/- 9/3/26
(आजीव वत्सराज),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–03/स्था0रा0से0(पीत पत्र)–109/2024–516(3)/रा0 पटना, दिनांक–09/03/2026

प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/विभागीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 9/3/26
(आजीव वत्सराज),
अपर सचिव।